कोर्ट फी 10 रु. Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

निग 3550- II/16

बिहारीलाल पाण्डेय तनय स्व0 श्री केमलाराम पाण्डेय उम्र– 65 वर्ष, पेशा– खेती, निवासी ग्राम– बोकरो, तहसील– रामपुर नैकिन, जिला– सीधी (म.प्र.)

————— पुनरीक्षणकर्ता

श्री के० के० द्विवेदी, अभि० द्वारा आज दि. 7-10-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 7-10-16 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

226 / 7-10-16

बनाम

1. उमेश यादव तनय लक्षिमन यादव उम्र– 30 वर्ष, पेशा– खेती,
2. कमलेश यादव तनय ददुनी यादव उम्र– 34 वर्ष, पेशा– खेती,
3. भूरा यादव तनय चिन्ता यादव उम्र– 42 वर्ष, पेशा– खेती,
4. शिवपाल सिंह गोंड़ तनय लखई सिंह गोंड़ उम्र– 45 वर्ष, पेशा– खेती,
5. महिपाल सिंह तनय नन्हई सिंह उम्र– 32 वर्ष, पेशा– खेती,
6. रामराज सिंह तनय नारायण सिंह गोंड़ उम्र– 35 वर्ष, पेशा– खेती,
7. गोरेलाल यादव तनय चिन्ता यादव उम्र– 40 वर्ष, पेशा– खेती,
8. ददुल्ला यादव तनय राममिलन यादव उम्र– 55 वर्ष, पेशा– खेती,
9. बिहारीलाल यादव तनय राममिलन यादव उम्र– 40वर्ष, पेशा– खेती,
10. सुधीश कुमार तनय बिहारीलाल पाण्डेय उम्र– 30 वर्ष, पेशा– खेती,
11. सुनील कुमार तनय बिहारीलाल पाण्डेय उम्र– 28 वर्ष, पेशा– खेती,

सभी निवासी ग्राम– बोकरो, थाना– चुरहट, तहसील– रामपुर नैकिन, जिला– सीधी (म.प्र.)

————— अनावेदकगण

7-10-16 K.K. Dwivedi

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय सीधी के प्रकरण क्रमांक– 09/अ–74/2015–16 में पारित आदेश दिनांक– 18.04.2016 के द्वारा 18 वर्ष विलम्ब से स्वप्रेरणा में लेकर पुनरीक्षणकर्ता को सूचना पत्र जारी किया है, से व्यथित पुनरीक्षण।

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा– 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 3550–दो/2016 जिला–सीधी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-10-16	आवेदक के अभिभाषक श्री के0के0 द्विवेदी उपस्थित। अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। 2/ आवेदक के अभिभाषक ने कलेक्टर सीधी के प्र0क्र0 09/अ–74/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 18.04.2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 3/ प्रकरण में आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम बोकरो स्थित विवादित भूमि की आराजी खसरा क्रमांक नया 641/0.16, 643/0.55, 659/0.60, 714/1.64 एवं 715/2.20 है0 पर आवेदक ने अपना नाम अंकित करा लिया है, इस संबंध में अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 9 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर सीधी के समक्ष शिकायती आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया । जिस पर न्यायालय कलेक्टर सीधी द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा दिनांक 18.04.2016 द्वारा अनावेदकगण के हित में आदेश पारित किया । कलेक्टर सीधी के द्वारा पारित किये गये आदेश पत्रिका का अध्ययन किया	

गया, जिसमें कलेक्टर सीधी ने लेख किया है कि आवेदक ने उक्त विवादित भूमि पर अपना नाम अंकित करा दिया बाद में अपने दोनों बच्चों के नाम अंकित करा दिया । उक्त जमीनों को बाद में भारतीय स्टेट बैंक चुरहट में बंधक रख दिया, जबकि सभी भूमियों पर मौके से ग्रामवासियों का निकार निस्तार होता है ।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि ग्रामवासियों का निकार निस्तार हेतु सुरक्षित है जिससे आवेदक को यह ज्ञात था कि इसका व्यवस्थापन नहीं हो सकता इसलिये उसने तहसीलदार के न्यायालय में पैरवी नहीं किया और अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी कोई निगरानी प्रस्तुत नहीं की गई। इस प्रकार यह पाया गया कि आवेदक विधि के विपरीत अपना पक्ष समर्थन रखना चाहता है जो कि न्यायसंगत नहीं है । फलतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो ।

(एस0एस0 अली)
सदस्य